

टेस्टिंग करने से आप पब्लिक चार्ज नहीं बनेंगे

855-48 पर पाठ 'COVID TEST' या पर जाएँ

www.nyc.gov/covidtest



U.S. Citizenship
and Immigration
Services

सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपसे आपकी इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में कोई सवाल नहीं पुछा जाएगा USCIS ने घोषणा की है की कोविड - 19 के टेस्टिंग, रोकथाम और इलाज कराने से, भविष्य में ग्रीन कार्ड और सिटिज़नशिप अथवा नागरीकता प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी.

इमिग्रेशन स्टेटस की चिंता किए बगैर आप कोविड -19 टेस्टिंग स्थल, मुफ्त अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थकेंद्र, इमर्जन्सी रूम और सरकारी अस्पताल में मुफ्त और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकते हैं.

अपना ध्यान रखें!



मेडिकल इन्शुरन्स ना होने पर भी आप डॉक्टर को देख सकते हैं.

मुफ्त और किफायती हेल्थ इन्शुरन्स NY State of Health से मिल सकती है. कॉल कीजिए 855-355-5777.

किसी कारणवश आप हेल्थ इन्शुरन्स के योग्य नहीं होते हैं, अथवा हेल्थ इन्शुरन्स आपके लिए मेहेंगा है तोह 646-692-2273 अथवा 311 पर कॉल करें और NYC Care में भाग लें.

अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो, NYC Health + Hospitals के स्वस्थ सेवा का उपयोग करें. कॉल करें 844-NYC-4NYC (844-692-4692) अथवा 311.

अगर आप हेल्थ इन्शुरन्स के लिए अर्जी नहीं कर रहे हैं तो फिर, अपने बारे में या आपने इमिग्रेशन स्टेटसके बारे में कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है.



कोविड -19 और पब्लिक चार्ज के बारे में चिंतित हैं, तो हमसे बात करें! हम आपकी भाषा बोलते हैं और आपको टेस्टिंग साइट से जोड़ सकते हैं.